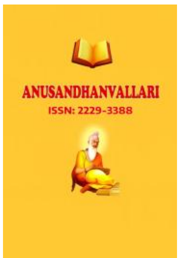

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
December 2023
ISSN 2229-3388

गाँधी के सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन में अहिंसा की भूमिका: एक समीक्षात्मक अध्ययन

[1]संजीव मोगा, [2]डॉ. डी. के. पी. चौधरी

[1]शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नैनीताल, उत्तराखंड, भारत

[2]प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीतिक विज्ञान विभाग, पंडित ललित मोहन शर्मा कैंपस, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत

शोध आलेख सार:-

अहिंसा भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण दार्शनिक अवधारणा है, जिसका विकास जैन, बौद्ध तथा वैदिक-उपनिषदिक परंपराओं में विभिन्न रूपों में हुआ। आधुनिक काल में एम. के. गांधी ने अहिंसा को केवल व्यक्तिगत नैतिकता अथवा धार्मिक आचरण तक सीमित न रखकर सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक संघर्ष और जनसंगठन का प्रभावी साधन बनाया। गांधी के लिए अहिंसा निष्क्रियता या कायरता का पर्याय नहीं थी, बल्कि सत्य, प्रेम, आत्मसंयम, त्याग और नैतिक साहस पर आधारित सक्रिय शक्ति थी। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, रचनात्मक कार्यक्रम तथा स्वराज की अवधारणाओं को अहिंसा के साथ जोड़कर एक वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत शोध-पत्र में सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन में अहिंसा की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें अहिंसा की वैचारिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि, गांधी के अहिंसा-दर्शन, सत्य और अहिंसा के संबंध, सत्याग्रह के राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक समरसता, लोकतंत्र, मानवाधिकार, न्याय तथा समकालीन विश्व में अहिंसा की प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है। साथ ही अहिंसा की सीमाओं और उसके समक्ष उपस्थित व्यावहारिक चुनौतियों पर भी आलोचनात्मक दृष्टि डाली गई है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि हिंसा, युद्ध, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक असहिष्णुता से प्रभावित वर्तमान विश्व में अहिंसा केवल गांधी के युग की राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और मानवीय समाज के निर्माण की एक महत्वपूर्ण दार्शनिक आधारशिला है।

प्रमुख शब्द:- अहिंसा, सत्याग्रह, सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, स्वराज, लोकतंत्र, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, शांति।

1.प्रस्तावना

गांधी के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन तथा उनके समस्त कार्यों का मूल आधार 'अहिंसा' था। वे अहिंसा को केवल हिंसा का निषेध नहीं मानते थे, बल्कि इसे जीवन के व्यापक नैतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते थे।

जिस प्रकार उनके लिए सत्य सर्वोच्च मूल्य था, उसी प्रकार अहिंसा भी अत्यंत व्यापक और शक्तिशाली सिद्धांत थी। गांधी के चिंतन में सत्य साध्य तथा अहिंसा उस सत्य की प्राप्ति का साधन थी। उनका विश्वास था कि मानवीय संबंधों से जुड़ी अधिकांश समस्याओं का स्थायी समाधान अहिंसा के माध्यम से संभव है। उनके अनुसार अहिंसा मनुष्य के भीतर प्रेम, सम्मान, सहानुभूति और पारस्परिक समझ को विकसित करती है तथा सभी मनुष्यों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है।

गांधी ने अहिंसा को केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भी उसका प्रयोग किया। उन्होंने आपसी वैमनस्य, घृणा, द्वेष और संदेह जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों का सामना अहिंसक साधनों के माध्यम से किया। उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा निष्क्रियता या कमजोरी का प्रतीक नहीं थी, बल्कि अन्याय और बुराई का सकारात्मक तथा रचनात्मक ढंग से मुकाबला करने वाली शक्ति थी। इसमें बदले की भावना, षड्यंत्र, प्रतिशोध, संगठित युद्ध अथवा किसी की हत्या के लिए स्थान नहीं था। गांधी के लिए अहिंसा का उद्देश्य विरोधी को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके हृदय और विचारों में परिवर्तन लाकर बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करना था।

उनका मानना था कि सत्य की वास्तविक खोज के लिए व्यक्ति का नैतिक रूप से अहिंसक होना आवश्यक है। सत्य को प्राप्त करने का मार्ग अहिंसा से होकर गुजरता है। इसी कारण अहिंसा उनके सत्याग्रह के सिद्धांत का आधार बनी। सत्याग्रह का मूल अर्थ सत्य के प्रति दृढ़ आग्रह और उसके लिए अहिंसक संघर्ष करना है। गांधी के विचार में सत्य सर्वोच्च सिद्धांत तथा अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य के रूप में प्रतिष्ठित थी। उनके जीवन और कार्यों में अहिंसा केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन-दर्शन का अभिन्न अंग थी। चाहे उनका राजनीतिक जीवन हो अथवा आर्थिक, सामाजिक और नैतिक चिंतन—प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा की केंद्रीय भूमिका दिखाई देती है। गांधी के अनुसार अहिंसा की शक्ति अत्यंत व्यापक और असीम है।[1]

2. अहिंसा का अर्थ

'अहिंसा' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'अ' तथा 'हिंसा' शब्दों के संयोग से मानी जाती है। सामान्य अर्थ में अहिंसा का तात्पर्य हिंसा का अभाव है। अर्थात किसी व्यक्ति की हत्या न करना अथवा किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुँचाना अहिंसा कहलाता है। इसके विपरीत हिंसा का अर्थ किसी प्राणी की हत्या करना अथवा उसे किसी प्रकार की पीड़ा देना है। 'हिंसा' शब्द के साथ 'अ' उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ निषेधात्मक हो जाता है और वह अहिंसा का रूप ग्रहण कर लेता है।

सामान्य दृष्टि से हिंसा का आशय किसी जीव के प्राणों का हरण करने या उसे किसी प्रकार की क्षति अथवा पीड़ा पहुँचाने से है। हालांकि यदि अहिंसा को इसी संकीर्ण अर्थ में देखा जाए तो पूर्ण अहिंसा का पालन करना लगभग असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि मनुष्य का दैनिक जीवन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी-न-किसी प्रकार की

[1] गांधी, एम. के., (1926, 6 मई) यंग इंडिया, पृष्ठ 164.

हिंसा से जुड़ा रहता है। इसलिए अहिंसा को केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित न रखकर उसके व्यापक नैतिक और मानवीय अर्थ को समझना आवश्यक है।[2]

'अहिंसा' शब्द को देखने पर सामान्यतः इसका अर्थ किसी प्रकार के अभाव के रूप में प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में इसका स्वरूप केवल निषेधात्मक नहीं, बल्कि भावात्मक भी है। 'हिंसा' और 'अहिंसा' एक-दूसरे के विपरीत अर्थ वाले पद हैं और एक की उपस्थिति से दूसरे का अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि भाषिक दृष्टि से अहिंसा एक अभावात्मक पद है, फिर भी भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक परंपरा में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। उपनिषदों, श्रुति-साहित्य तथा बौद्ध और जैन परंपराओं में अहिंसा को उच्च नैतिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महान व्यक्तित्वों ने अपने जीवन-दर्शन को अहिंसा के सिद्धांत से गहराई से जोड़ा और इसे मानव जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों में प्रतिष्ठित किया।

वैश्विक दर्शन में 'अभाव' को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि अहिंसा के संदर्भ में केवल 'अभाव' को आधार मानना पर्याप्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके भावात्मक पक्ष में प्रेम को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। अहिंसा का व्यापक अर्थ केवल हिंसा का निषेध नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और सद्भाव की भावना विकसित करना भी है। प्रेम का क्षेत्र अहिंसा की अपेक्षा अधिक व्यापक माना जा सकता है, क्योंकि प्रेम में अहिंसा के अतिरिक्त अनेक सकारात्मक मानवीय गुण भी समाहित होते हैं।

इसी कारण केवल प्रेम को अहिंसा का पूर्ण पर्याय मानने के बजाय अहिंसा को स्वतंत्र नैतिक एवं मानवीय मूल्य के रूप में स्वीकार करना अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार गांधी की अहिंसा की अवधारणा मन, वचन और कम से संबंधित है।

3. गांधी की दृष्टि में अहिंसा का स्वरूप

गांधी के अनुसार अहिंसा सर्वोच्च नैतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। व्यावहारिक जीवन में अहिंसा के विभिन्न स्तर अथवा रूप दिखाई दे सकते हैं, जिनमें जाग्रत अहिंसा, औचित्य अहिंसा तथा भीरुओं की अहिंसा प्रमुख हैं। इनमें जाग्रत अहिंसा को सबसे उच्च और प्रभावशाली स्वरूप माना जा सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति के अंतर्मन से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है।

3.1. जाग्रत अहिंसा

जाग्रत अहिंसा वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अहिंसा को किसी बाहरी दबाव, स्वार्थ, परिस्थिति या व्यावहारिक आवश्यकता के कारण नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से स्वीकार करता है। इस प्रकार की अहिंसा व्यक्ति के उच्च नैतिक आदर्शों, आंतरिक चेतना और दृढ़ विश्वास पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति अपने विचारों और

[2] वही, (1940, 21 जून) हरिजन, पृ. 140.

आचरण की नैतिक श्रेष्ठता को पहचानते हुए अहिंसा को जीवन-मूल्य के रूप में अपनाता है। ऐसी अहिंसा में असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों को भी सकारात्मक परिवर्तन में बदलने की क्षमता निहित रहती है। यह विवेकशील और साधन-संपन्न व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अपनाई गई अहिंसा है तथा इसे वीरों की अहिंसा भी कहा जा सकता है।

जाग्रत अहिंसा किसी विशेष आवश्यकता, नीति या परिस्थिति तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका प्रयोग संभव है। इसकी कोई निश्चित सीमा या अपवाद नहीं माना जाता। यह केवल किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत साधना तक सीमित रहने वाला सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यापक मानवीय जीवन के लिए अपनाया जाने वाला नैतिक आदर्श है। गांधी ने अहिंसा को जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य तथा वीरों के धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया।

उनके विचार में जब अहिंसा व्यक्ति के जीवन में वास्तविक रूप से स्थापित हो जाती है, तो उसके वचन, आचरण और व्यवहार में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। आत्मशुद्धि की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अहंकार, स्वार्थ और हिंसक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से अहिंसा केवल बाहरी व्यवहार का संयम नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक रूपांतरण और आत्मिक उन्नति का माध्यम बन जाती है।

गांधी के चिंतन में आत्मबल को भौतिक या शारीरिक शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माना गया है। उनके अनुसार तलवार अथवा शारीरिक बल का प्रयोग व्यक्ति को वास्तविक रूप से शक्तिशाली नहीं बनाता; इसके विपरीत, अहिंसा का अभ्यास आत्मबल को विकसित करता है। हिंसक साधनों के प्रयोग से आत्मा पर नियंत्रण स्थापित नहीं होता, जबकि अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के आत्मबल को जागृत कर सकता है।

इस प्रकार अहिंसा का निरंतर पालन व्यक्ति को आत्मिक रूप से सशक्त बनाता है और उसे उच्च नैतिक चेतना की ओर अग्रसर करता है। गांधी के लिए अहिंसा अंततः मनुष्य को आत्मबल की अनुभूति कराते हुए उसे ईश्वरतुल्य नैतिक ऊँचाई की ओर ले जाने वाली शक्ति थी।

3.2. औचित्य अहिंसा

औचित्य अहिंसा से आशय ऐसी अहिंसा से है, जिसे जीवन की किसी विशेष परिस्थिति अथवा आवश्यकता के उत्पन्न होने पर विवेक और औचित्य के आधार पर नीति के रूप में अपनाया जाता है। इसका संबंध मुख्यतः उन व्यक्तियों से माना जाता है, जो स्वयं को शारीरिक या परिस्थितिगत रूप से कमजोर और असहाय अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति अहिंसा को किसी गहन नैतिक आस्था या आध्यात्मिक विश्वास के कारण नहीं अपनाते, बल्कि अपनी सीमित शक्ति और असमर्थता के कारण हिंसक साधनों का प्रयोग करने से बचते हैं।

यद्यपि इस प्रकार की अहिंसा की उत्पत्ति निर्बलता की स्थिति से होती है, फिर भी यदि इसे ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और अनुशासन के साथ व्यवहार में उतारा जाए, तो यह प्रभावशाली तथा उपयोगी प्रतिरोध का माध्यम बन सकती है। गांधी ने ऐसी अहिंसक प्रवृत्ति को निष्क्रिय प्रतिरोध की संज्ञा दी है।

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
December 2023
ISSN 2229-3388

3.3. भीरुओं या कायरों की अहिंसा

भीरुओं या कायरों की अहिंसा का आधार साहस और नैतिक दृढ़ता के बजाय भय होता है। भयभीत व्यक्ति संघर्ष या कठिन परिस्थिति का सामना करने के स्थान पर उससे बचने का प्रयास करता है और इसी कारण अहिंसा का आश्रय लेता है। गांधी ऐसी अहिंसा को वास्तविक अहिंसा नहीं मानते थे, क्योंकि उनके लिए अहिंसा का अर्थ कायरतापूर्वक पीछे हटना नहीं, बल्कि निर्भय होकर अन्याय का सामना करना था। उनका स्पष्ट मत था कि कायरता और अहिंसा एक साथ नहीं चल सकते।[3] यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनने की स्थिति उत्पन्न हो, तो कायरता की अपेक्षा हिंसा का मार्ग चुनना अधिक उचित है।[4] गांधी ने भय से उत्पन्न इस प्रकार के अहिंसक व्यवहार को निष्क्रिय अहिंसा की संज्ञा दी है।

4. गांधी का व्यावहारिक आदर्शवाद

गांधी के चिंतन पर बाल्यकाल से ही जैन परंपरा के अहिंसात्मक संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए उनका दृष्टिकोण मनु की अपेक्षा जैन विचारधारा के अधिक निकट दिखाई देता है; फिर भी उन्होंने जैन मत के अतिवादी स्वरूप को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। वे स्वयं को व्यावहारिक आदर्शवादी मानते थे और इसी कारण उनकी अहिंसा भी कठोर तथा निरपेक्ष निषेध के बजाय परिस्थितियों और नैतिक विवेक से जुड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए, वे फसल को नष्ट करने वाले कीटों को केवल इस आधार पर जीवित रहने देने के पक्षधर नहीं थे कि उन्हें मारना हिंसा है, क्योंकि ऐसा करने से कृषि उत्पादन नष्ट हो सकता है और मानव जीवन के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में हानिकारक कीटों को समाप्त करना उनके लिए नैतिक अपराध नहीं था। इसी प्रकार वे बिना किसी आवश्यकता के पशु-पक्षियों अथवा वनस्पति जीवन को क्षति पहुँचाने के समर्थक भी नहीं थे। उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का एक उदाहरण आश्रम के उस गंभीर रूप से रोग ग्रस्त बछड़े की घटना में दिखाई देता है, जिसकी असहनीय और असाध्य पीड़ा को देखते हुए उन्होंने चिकित्सक की सहायता से विष का इंजेक्शन देकर उसके जीवन का अंत करवाया। यद्यपि इस बछड़े का जीवन नहीं बचाया जा सका, तथापि उसे असहनीय वेदना से मुक्ति दिलाने का निर्णय गांधी की करुणा, विवेक और नैतिक साहस को प्रकट करता है।

उनके अनुसार क्रोध, स्वार्थ अथवा दुर्भावना से किसी जीव को पीड़ा पहुँचाना, उसका अहित चाहना या उसके प्राण लेना हिंसा है; इसके विपरीत शांत एवं स्पष्ट विवेक से, किसी स्वार्थ के बिना और संबंधित जीव के कल्याण की भावना से उसकी असहनीय पीड़ा समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य शुद्ध अहिंसा की भावना के अनुकूल हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों का निर्णय प्रत्येक मामले की प्रकृति, उद्देश्य और गुण-दोष के आधार

[3] धवन, गोपीनाथ, (1951) सर्वोदय तत्व दर्शन, नवजीवन प्रकाशन मंडल, इलाहाबाद, पृष्ठ 74.

[4] गांधी, एम. के., (1926, 16 सितंबर) यंग इंडिया, पृष्ठ 164.

पर किया जाना चाहिए। इसी व्यावहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत गांधी ने एक कुमारी कन्या की मर्यादा की रक्षा के लिए, जब उसके पास अन्य कोई उपाय शेष न हो, आक्रमणकारी के विरुद्ध प्राणघातक प्रतिरोध की संभावना को भी स्वीकार किया।

इस प्रकार गांधी के लिए हिंसा और अहिंसा का अंतिम निर्धारण केवल बाहरी कर्म से नहीं, बल्कि उस कर्म के पीछे विद्यमान उद्देश्य, परिस्थिति, विवेक और नैतिक भावना से होता है। गांधी ने एक कुमारी कन्या को भी उस व्यक्ति की हत्या की अनुमति दी है जो जबरन उसका शीलभंग करने पर आमादा हो। उनका दृढ़ अभिमत है कि हिंसा या अहिंसा की अंतिम कसौटी तो आखिर उस कृत्य के पीछे रहा हेतु ही होगा।[5] गांधी के अनुसार, "मेरी अहिंसा अपने ढंग की है। मैं जानवरों को न मारने का सिद्धान्त पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। जो पशु मनुष्य को खा जाते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं उनकी जान बचाने की मुझमें कोई भावना नहीं है। उनकी वंशवृद्धि में सहायक होना मैं अनुचित मानता हूँ।"[6]

5. अहिंसा में कायरता को स्थान नहीं

गांधी ने कहा कि, मेरा अहिंसा धर्म एक अत्यंत सक्रिय बल है। इसमें कायरता की या दुर्बलता की भी गुंजाइश नहीं। किसी हिंसक मनुष्य के किसी दिन अहिंसक बन जाने की आशा हो सकती है, मगर बुजदिल के लिए ऐसी कोई आशा नहीं होती।[7] गांधी की अहिंसा व्यक्ति को संकट के समय अपने प्रियजनों को असुरक्षित छोड़कर भाग जाने की अनुमति नहीं देती। वे हिंसा की अपेक्षा कायरतापूर्ण पलायन को अधिक निंदनीय मानते थे। उनके विचार में जिस व्यक्ति में दूसरों को सुंदर जीवन का अनुभव कराने की प्रेरणा देने की क्षमता नहीं है, वह केवल कायरता के आधार पर अहिंसा का सच्चा अनुयायी नहीं बन सकता। अहिंसा वस्तुतः वीरता की चरम अवस्था है। गांधी ने अपने जीवनानुभव के आधार पर स्वीकार किया कि वे स्वयं भी एक समय तक भय और कायरता से प्रभावित रहे तथा कई बार हिंसा का सहारा लेने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई। किंतु जब उन्होंने कायरता का त्याग करना प्रारंभ किया, तब उनका विश्वास अहिंसा में और अधिक दृढ़ होता गया। उनके अनुसार जो लोग संकट की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से बचकर भागते हैं, उन्हें केवल इसलिए अहिंसक नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने प्रतिकार या युद्ध का मार्ग नहीं अपनाया; यदि उनका पलायन मृत्यु अथवा चोट के भय से प्रेरित है, तो वह अहिंसा नहीं, बल्कि कायरता है। अहिंसा का मार्ग हिंसा के मार्ग की तुलना में कहीं ज्यादा साहस की अपेक्षा रखता है।[8]

[5] वहीं, (16 सितंबर 1926) यंग इंडिया, पृष्ठ 322.

[6] वहीं, (05.05.1946) हरिजन, पृष्ठ 113-124.

[7] वहीं, (04.11.1926) यंग इंडिया, पृष्ठ 379-386.

[8] वहीं, (04.08.1946) हरिजन, पृष्ठ 245-252.

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
December 2023
ISSN 2229-3388

6. अहिंसा का सकारात्मक एवं रचनात्मक स्वरूप

गांधी के चिंतन में अहिंसा केवल हिंसा का निषेध नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और सक्रिय जीवन-मूल्य है। यद्यपि मनुष्य के दैनिक जीवन में पूर्णतः हिंसारहित रहना कठिन है, क्योंकि सांस लेने, भोजन करने तथा जीवन-यापन की अनेक सामान्य क्रियाओं में अनजाने में किसी न किसी प्रकार की हिंसा घटित हो सकती है, फिर भी गांधी ऐसी अनिवार्य परिस्थितियों को अहिंसा के मूल सिद्धांत के लिए बाधक नहीं मानते थे।

उन्होंने अहिंसा को अत्यंत सूक्ष्म और संकीर्ण अर्थ तक सीमित न रखकर उसे व्यापक सामाजिक एवं मानवीय संदर्भ प्रदान किया। जिस प्रकार हिंसा को एक संगठित शक्ति के रूप में देखा जाता रहा है, उसी प्रकार गांधी ने अहिंसा को भी संगठित सामाजिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने अपने आचरण और आंदोलनों के माध्यम से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि अहिंसा समाज को अधिक मानवीय एवं परिष्कृत बना सकती है, युद्ध और संघर्ष की प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है तथा मानव सभ्यता को अधिक शांतिपूर्ण और नैतिक दिशा प्रदान की जा सकती है। गांधी के अनुसार अहिंसा में दीनता और भीरुता न हो, डरकर भागना भी ना हो। अहिंसा में दृढ़ता, वीरता, निश्च्छलता होनी चाहिए।[9]

7. अहिंसा मानवीय प्रकृति का स्वाभाविक अंग

गांधी के विचार में अहिंसा किसी बाहरी विचारधारा अथवा आरोपित सिद्धांत का नाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के स्वभाव में स्वाभाविक रूप से विद्यमान नैतिक तत्व है। जब मनुष्य शैतान की पूजा करता है तो वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कार्य करता है।[10] गांधी के अनुसार मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य अहिंसा की भावना में निहित है। अहिंसा तभी सार्थक हो सकती है, जब व्यक्ति के भीतर दया, करुणा और सहानुभूति निरंतर सक्रिय रहें। जहाँ करुणा का अभाव है, वहाँ अहिंसा की वास्तविक भावना भी नहीं हो सकती।

इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के आचरण में जितनी अधिक दया और करुणा विद्यमान होगी, उसकी अहिंसा भी उतनी ही गहरी होगी। गांधी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर आक्रमण करने वाले का प्रतिकार करते हुए उसे मार देता है, तो केवल बाहरी कर्म के आधार पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वह हिंसक ही था; इसी प्रकार यदि वह उसे भय के कारण नहीं मारता, तो उसका यह व्यवहार स्वतः अहिंसा नहीं हो सकती।[11]

[9] वहीं, (20.09.1928) हिंदी नवजीवन, पृष्ट 33-40.

[10] वहीं, (17.06.1926) हिंदी नवजीवन, पृष्ट 345-352.

[11] वहीं, (04.04.1929) हिंदी नवजीवन, पृष्ट 256-270.

अतः अहिंसा का मूल्यांकन केवल बाहरी क्रिया से नहीं, बल्कि उसके पीछे निहित उद्देश्य, भावना और नैतिक चेतना के आधार पर किया जाना चाहिए। निष्क्रियता को अहिंसा का पर्याय मानना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तविक अहिंसा व्यक्ति के सक्रिय आचरण में करुणा के समावेश की अपेक्षा करती है। गांधी के लिए अहिंसा कोई क्षणिक या परिस्थितिजन्य उपाय नहीं, बल्कि एक शाश्वत नैतिक सिद्धांत है। जब तक मनुष्य के जीवन में अहिंसा का अभाव रहेगा, तब तक उसकी वास्तविक नैतिक और मानवीय उन्नति अधूरी बनी रहेगी।

8. अहिंसा में घृणा का कोई स्थान नहीं

गांधी के अनुसार वास्तविक अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं हिंसा से दूर रहता है, बल्कि हिंसा के विरोध में भी हिंसात्मक साधनों का सहारा नहीं लेता। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कष्ट को साहसपूर्वक स्वीकार करता है, किंतु कष्ट सहते हुए भी अन्याय करने वाले के प्रति घृणा अथवा प्रतिशोध की भावना नहीं रखता। इसके विपरीत, वह विरोधी के व्यवहार में सुधार की संभावना तलाशता है और उसके हित तथा कल्याण की भावना बनाए रखता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति से बदला लेना नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण आचरण को समाप्त करके अन्यायी व्यक्ति के हृदय और व्यवहार में परिवर्तन लाना है।

इसलिए अहिंसक संघर्ष में विरोधी के प्रति द्वेष का स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि घृणा का समावेश होते ही हिंसक प्रवृत्ति के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। गांधी के दृष्टिकोण में घृणा हिंसा का सबसे निम्न स्तर है; अतः मन में घृणा रखते हुए व्यक्ति वास्तविक अर्थ में अहिंसक नहीं बन सकता। केवल घृणा का अभाव भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि घृणा मूलतः नकारात्मक भाव है।

अहिंसा के सकारात्मक स्वरूप के लिए प्रेम और धैर्य का होना अनिवार्य है। सच्चा अहिंसक वही है जो अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति भी प्रेम का भाव बनाए रखता है, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति को बदलने और उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने की अत्यंत शक्तिशाली क्षमता होती है। इस प्रकार गांधी की अहिंसा विरोधी को पराजित या नष्ट करने के बजाय उसके हृदय-परिवर्तन पर बल देती है और घृणा के स्थान पर प्रेम, धैर्य तथा सुधार की भावना को प्रतिष्ठित करती है। उनकी यह दृढ़ आस्था थी की भारत का उद्धार अहिंसा से ही हो सकता है। भारत यदि अहिंसा को गंवा देता है तो संसार की अंतिम आशा पर पानी गिर जाएगा।[12]

9. अहिंसा और प्रेम

गांधी के अहिंसा-दर्शन में करुणा और दया का विशेष महत्व है तथा ये दोनों भाव अहिंसा के अभिन्न अंग माने जाते हैं। गांधी की अहिंसा निषेधात्मक दृष्टिकोण नहीं है अपितु यह एक सकारात्मक विचारधारा है। अपने इस सकारात्मक रूप में यह प्रेम से संबंधित है।[13] प्रेम के माध्यम से अहिंसा अधिक प्रभावशाली बनती है और व्यक्ति

[12] वहीं, (14.10.1939) हरिजन सेवक, पृष्ट 4-5.

[13] गंगल, एस. सी., (1960) दी गांधियन वे टू वर्ल्ड पीस, वोहरा एंड कंपनी, बंबई, पृष्ठ 74.

के जीवन में निरंतर विकसित होती रहती है। गांधी के अनुसार अहिंसा मानव-प्रकृति से जुड़ा एक नैतिक नियम है तथा मानवीय अस्तित्व की रक्षा और उसके विकास के लिए इसकी आवश्यकता परिस्थिति है।[14]

उनका दृढ़ विश्वास था कि विश्व-व्यवस्था का मूल संचालन प्रेम की शक्ति से होता है। विभिन्न व्यक्तियों और समाजों को परस्पर जोड़ने वाली आकर्षण एवं एकता की शक्ति को वे प्रेम का ही स्वरूप मानते थे और इसी को अहिंसा की प्रेरक शक्ति के रूप में देखते थे। उनके विचार में प्रेम जीवन का आधार है, जबकि घृणा विनाशकारी प्रवृत्ति को जन्म देती है। इसलिए व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने जीवन में केवल अपने हितों को सर्वोपरि न रखकर दूसरों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए भी सक्रिय प्रयास करे। गांधी के अनुसार केवल शस्त्रों का त्याग कर देना ही अहिंसा नहीं है; वास्तविक अहिंसा में कायरता, पलायन, भय और दुर्बलता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत, यह साहस, आत्मबल, प्रेम और नैतिक उत्तरदायित्व पर आधारित सक्रिय जीवन-दृष्टि है।

10. अहिंसा से हृदय परिवर्तन

गांधी के धर्म-दर्शन में ईश्वर, सत्य और अहिंसा को परस्पर संबद्ध मूल तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है और उन्होंने इन आदर्शों को अपने आचरण में भी उतारा। गांधी समय के महत्व को भली-भाँति समझते थे और उनके भीतर अदम्य आत्मबल विद्यमान था, किंतु उन्होंने कभी भी उस शक्ति का उपयोग किसी व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं किया। उनका विश्वास था कि वास्तविक विजय दूसरों को पराजित करने में नहीं, बल्कि अपने कार्य और आचरण के माध्यम से उनके हृदय को प्रभावित करने में निहित है।

इस प्रकार की विजय में किसी प्रकार का दबाव या हिंसात्मक प्रवृत्ति स्थान नहीं रखती। गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन में अहिंसा को साधन बनाकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया, किंतु उनके मन में अंग्रेजों के प्रति व्यक्तिगत घृणा का भाव कभी उत्पन्न नहीं हुआ। उनके द्वारा अपनाई गई अहिंसक सत्याग्रह-पद्धति का मूल उद्देश्य ही विरोधी के हृदय में परिवर्तन उत्पन्न करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गांधी सर्वप्रथम आत्मशुद्धि और आत्मानुशासन पर बल देते थे तथा उसके पश्चात् हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया को आवश्यक मानते थे।

गांधी के विचार में हृदय परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है; इसी कारण विरोधी के प्रति भी उनकी अहिंसक दृष्टि सदैव सहिष्णु, उदार और मानवीय बनी रही। गांधी लिखते हैं कि मुझे अंग्रेजों से बैर नहीं। मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश करना चाहता हूं। लेकिन मैं यह उनका हृदय परिवर्तन करके करना चाहता हूं जो की साम्राज्यवाद से संबंध रखते हैं। अहिंसा में यदि जो शक्ति में बताता हूं वह है, तो विरोधी पर जरूर असर होगा।[15]

[14] मेंबर, यू.एन., (1964) गांधी ए प्रैक्टिकल आईडियोलॉजिस्ट, भारतीय विद्या भवन, बंबई, पृष्ठ 12.

[15] गांधी, एम. के., (06.04.1940) हरिजन सेवक, पृष्ट 61-68.

अहिंसा को अपने जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति समस्त मानवता के प्रति बंधुत्व की भावना विकसित करता है। परिणामस्वरूप उसके भीतर घृणा, द्वेष अथवा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अनावश्यक संदेह की प्रवृत्ति धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। केवल बाहरी रूप से अहिंसा का पालन करने से मनुष्य के भीतर विद्यमान आक्रामक प्रवृत्तियों का अंत नहीं होता; इसके लिए उसके अंतर्मन में वास्तविक परिवर्तन आवश्यक है। इस दृष्टि से शत्रु को भी मित्र अथवा बंधु के रूप में स्वीकार करने तथा स्वयं को निःस्वार्थ भाव से संयमित रखने की आवश्यकता होती है।

गांधी का विश्वास था कि यदि संसार में परस्पर वैर और संघर्ष की भावना समाप्त हो जाए, तो मानव समाज के विनाश की संभावना भी समाप्त हो सकती है। उनका मानना था कि विश्व की स्थायी व्यवस्था प्रेम और पारस्परिक सद्भाव पर ही आधारित हो सकती है। वास्तविक अहिंसा व्यक्ति के अंतःकरण में परिवर्तन उत्पन्न करती है और इसी कारण हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया को सहज, शांतिपूर्ण तथा प्रभावी बनाती है।

11. अहिंसा की शक्ति

गांधी अहिंसा को प्रचंड शास्त्र, परम पुरुषार्थ, वीर पुरुष की शोभा, मानव जीवन की सर्वोच्च शक्ति, और ईश्वर का पर्याय मानते हैं। अहिंसा शुष्क, नीरस और जड़ मस्तिष्क पदार्थ नहीं अपितु आत्मा का विशिष्ट गुण एवं सृजनात्मक चेतना है।[16] यह हृदय की भावना है। यह जीवन का तना बना है।[17] अहिंसात्मक 'युद्ध' का नाटक तो सदा ही राजीनामे-समझौते में होता है, कभी जबरदस्ती अपना ही आदेश मनवाने में नहीं-विरोधी का तिरस्कार या अपमान करना तो दूर रहा।[18] अतः अहिंसा का आरम्भ और अन्त आत्म-निरीक्षण में होता है—'जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ।[19]

---

[16] गुप्त, विश्वप्रकाश एवं गुप्त, मोहिनी (1996) महात्मा गांधी - व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 116.

[17] विवेक, रामलाल, (1996) महात्मा गांधी: जीवन और दर्शन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ 111.

[18] गांधी, एम.के., (23.03.1940) हरिजन सेवक, पृष्ठ 45.

[19] वहीं, (20.04.1940) हरिजन सेवक, पृष्ठ 82.

गाँधी का मानना है कि अहिंसा की बारहखड़ी तो कुटुम्ब में ही सीखी जा सकती है। अगर हम यहाँ उत्तीर्ण हो गए, तो फिर सब क्षेत्रों में उत्तीर्ण हो सकते हैं, यह मैं अनुभव से कह सकता हूँ। क्योंकि अहिंसक मनुष्य के लिए तो सारा जगत अपना कुटुम्ब है।[20]

गांधी के अनुसार, पूर्ण अहिंसा को तो न वाणी की आवश्यकता है, न लेखनी की और अगर इन दोनों बलों की आवश्यकता न हो तो संघ बल की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। अहिंसामयी स्त्री या पुरुष का संकल्प मात्र काम करता है।[21] अहिंसा का साधक अपने बल पर मैदान में नहीं उतरता, वह तो ईश्वरीय बल पर आधार रखता है।[22] गांधी का कथन है, कि इस तरह से हम संन्यास के आदर्शों पर पहुँचते हैं और यह शिक्षा पाते हैं कि किसी तरह अपनी जिन्दगी को समाज की सेवा में लगा दें और समाज सेवा ही अन्ततः जीवन का मुख्य लक्ष्य हो जाता है।

गांधी का कथन है, "अहिंसा का अर्थ सबसे बड़ा प्रेम-दान है। यदि मैं अहिंसा का पालक हूँ तो अपने शत्रु को भी प्यार करूँगा। वही सिद्धान्त मैं अपने दुश्मन, अपरिचित एवं बुराई करने वाले के प्रति रखूँगा जो कि बुरे रास्ते पर चलने वाले पिता या पुत्र के प्रति रखता है।"[23] गांधी का कहना है कि, "मैं अहिंसा के द्वारा घृणा के विरुद्ध प्रेम की शक्ति का उपयोग करके लोगों को अपने विचार का बनाकर, आर्थिक समता सम्पन्न करूँगा और तब तक ठहरा रहूँगा जब तक सारे समाज को अपने ख्याल का न बना दूँ।" [24]

गांधी के अनुसार, यदि हम किसी बुराई को दूर करना चाहते हैं तो हमें बुराई करने वाले को सुधारना होगा। यदि हम उसे अत्युत्तम बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमें कुछ मुसीबतों का सामना करना होगा।[25] गांधी के अनुसार, अहिंसक रहना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि हम इस हेतु निरन्तर सचेत, सतर्क एवं प्रयासरत न रहें। [26]

---

[20] वहीं, (20.07.1940) हरिजन सेवक, पृष्ठ 188.

[21] वहीं, (17.08.1940) हरिजन सेवक, पृष्ठ 223.

[22] वहीं, (17.08.1940) हरिजन सेवक, पृष्ठ 229.

[23] वहीं, (1933) स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ़ महात्मा गांधी, जी.ए. नेटसन एंड कं., मद्रास, पृष्ठ 136.

[24] वहीं, (31.03.1946) हरिजन, पृष्ठ 57-66.

[25] वहीं, (30.03.1938) हरिजन, पृष्ठ 72.

[26] वहीं, (02.04.1938) हरिजन, पृष्ठ 64.

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
December 2023
ISSN 2229-3388

गांधी के अनुसार अहिंसा में अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन के बिना अहिंसा का पालन संभव नहीं है। इसके लिए धैर्य, सहनशीलता और आत्मत्याग की आवश्यकता है जिससे मानसिक स्थिति संतुलित रहे। अहिंसा के पालन में मस्तिष्क और शरीर दोनों का सहयोग - सामंजस्य होना आवश्यक है।[27]

गांधी का मानना है कि दुनिया में सत्य और अहिंसा से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। उसके मुकाबले अनुभव कोई चीज नहीं है। गांधी के अनुसार पारस्परिक सहिष्णुता अहिंसा है। इसलिए आपको जैसे ही इस बात की प्रतीति हो जाए कि अहिंसा जीवन का नियम है, उसे उन पर आजमाना चाहिए जो आपके प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। और यह नियम जिस प्रकार व्यक्तियों पर लागू है, उसी प्रकार राष्ट्रों पर भी लागू होता है।

गाँधी के अनुसार बेशक, इसका प्रशिक्षण आवश्यक है। शुरुआत हमेशा छोटी-छोटी घटनाओं से ही होती है, लेकिन प्रतीति की बाकी बातें अपने आप ठीक होने लगती है।[28] अहिंसा और लोकतंत्र- गांधी का मानना था कि युद्ध का विज्ञान हमें विशुद्ध तानाशाही की ओर ले जाता है। अहिंसा का विज्ञान ही शुद्ध लोकतंत्र की ओर ले जा सकता है। [29]

गांधी का स्पष्ट मत था कि हिंसा और लोकतांत्रिक व्यवस्था एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते। उनके अनुसार, जो राज्य स्वयं को लोकतांत्रिक कहते हैं, उन्हें या तो अपने वास्तविक स्वरूप में सर्वसत्तावादी व्यवस्था स्वीकार करनी होगी अथवा यदि वे वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के इच्छुक हैं, तो उन्हें साहसपूर्वक अहिंसा के मार्ग को अपनाना होगा।[30] गांधी का विश्वास था कि राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा को मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किए बिना संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक शासन की वास्तविक स्थापना संभव नहीं है।

इसी विचार को आधार बनाकर उन्होंने अहिंसा की शक्ति को व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के एक प्रभावी सिद्धांत के रूप में व्यापक रूप से प्रस्तुत किया।

---

[27] श्रीवास्तव, प्रतिभा, (1993) श्री अरविंद और महात्मा गांधी के दर्शन का समीक्षात्मक अध्ययन, क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृष्ठ 159.

[28] गाँधी, एम. के., (28.01.1939) हरिजन, पृष्ठ 442.

[29] वहीं, (15.10.1938) हरिजन, पृष्ठ 290.

[30] वहीं, (12.11.1938) हरिजन, पृष्ठ 328.

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
December 2023
ISSN 2229-3388

गांधी का मानना है कि जब तक अहिंसा को केवल एक नीति नहीं बल्कि एक जीता-जागता बल, एक धर्म नहीं मान लिया जाएगा तब तक संवैधानिक अथवा लोकतांत्रिक सरकार एक सुदूर स्वप्न ही रहेगी।[31]

गांधी का मानना था कि "मेरी राय में, अहिंसा एक धीर-गंभीर प्रशिक्षण है। यदि हमें जीवित रहना है और विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान करना है तो हमें दृढ़ता के साथ प्रधानतय शांति का मार्ग चुन लेना चाहिए।"[32]

12. निष्कर्ष

गांधी के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में अहिंसा केवल हिंसा के निषेध का सिद्धांत नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम, करुणा, आत्मसंयम, नैतिक साहस और मानव-सेवा पर आधारित व्यापक जीवन-दृष्टि है। गांधी ने अहिंसा को व्यक्ति के निजी आचरण से लेकर सामाजिक संबंधों, राजनीतिक संघर्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और विश्व-शांति तक विस्तारित किया। उनके लिए अहिंसा निष्क्रियता अथवा कायरता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि अन्याय और शोषण के विरुद्ध सक्रिय नैतिक शक्ति थी। सत्याग्रह इसी अहिंसक शक्ति का राजनीतिक रूप था, जिसके माध्यम से उन्होंने अन्यायपूर्ण सत्ता का प्रतिरोध करते हुए प्रतिद्वंद्वी के विनाश के स्थान पर उसके हृदय-परिवर्तन को लक्ष्य बनाया।

गांधी के सामाजिक दर्शन में अहिंसा का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था, जिसमें जाति, अस्पृश्यता, शोषण, भेदभाव और सामाजिक असमानता के लिए कोई स्थान न हो। वे मनुष्य की गरिमा, समानता और पारस्परिक सहयोग को सामाजिक जीवन का आधार मानते थे। उनके अनुसार वास्तविक सामाजिक परिवर्तन केवल कानून और संस्थाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यक्ति के नैतिक रूपांतरण से संभव है।

इसलिए उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता, आत्मानुशासन, रचनात्मक कार्य तथा सेवा को अहिंसक समाज की आधारशिला माना। मानव-सेवा को उन्होंने ईश्वर-सेवा के समान माना और पीड़ित तथा वंचित व्यक्ति के कल्याण को सामाजिक नैतिकता का महत्वपूर्ण दायित्व समझा।

राजनीतिक क्षेत्र में गांधी ने अहिंसा को स्वतंत्रता प्राप्ति और लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण का प्रभावी साधन बनाया। सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा और रचनात्मक कार्यक्रम उनके राजनीतिक चिंतन के ऐसे साधन थे, जिनमें साध्य और साधन की एकता पर बल दिया गया। उनका मानना था कि हिंसक साधनों से प्राप्त राजनीतिक स्वतंत्रता वास्तविक अर्थों में मानवीय और स्थायी स्वतंत्रता नहीं हो सकती। राजनीतिक सत्ता का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि जनकल्याण, न्याय और मानव-मर्यादा की रक्षा करना होना चाहिए। इस दृष्टि से गांधी का राजनीतिक दर्शन नैतिक राजनीति की स्थापना का प्रयास था।

[31] वहीं, (11.02.1939) हरिजन, पृष्ठ 8.

[32] वहीं, (22.08.1929) यंग इंडिया, पृष्ठ 276-77.

ANUSANDHANVALLARI
ISSN: 2229-3388

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
December 2023
ISSN 2229-3388

गांधी की अहिंसा राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं थी। वे इसे विश्व-शांति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए भी आवश्यक मानते थे। सैन्यवाद, हथियारों की प्रतिस्पर्धा और युद्ध को वे मानव सभ्यता के लिए गंभीर संकट मानते थे। उनके अनुसार राष्ट्रों के बीच विवादों का समाधान संवाद, सहयोग, सत्य और अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से किया जाना चाहिए। भारत यदि अहिंसा को अपनी राष्ट्रीय शक्ति के रूप में विकसित करता है, तो वह विश्व को शांति और सह-अस्तित्व का वैकल्पिक मार्ग दिखा सकता है।

समीक्षात्मक दृष्टि से यह स्वीकार करना आवश्यक है कि गांधी की पूर्ण अहिंसा को आधुनिक राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में लागू करना अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। आतंकवाद, युद्ध, आक्रामकता और राज्य की सुरक्षा जैसे प्रश्नों के संदर्भ में अहिंसा की सीमाओं पर बहस संभव है। फिर भी इसकी नैतिक और मानवीय प्रासंगिकता कम नहीं होती। वर्तमान समय में बढ़ती हिंसा, सामाजिक विभाजन, युद्ध, आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय संकट के बीच गांधी की अहिंसा मनुष्य और समाज को संघर्ष के स्थान पर संवाद तथा प्रभुत्व के स्थान पर सहयोग की दिशा प्रदान करती है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गांधी के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में अहिंसा एक साधन मात्र नहीं, बल्कि एक नैतिक जीवन-मूल्य और परिवर्तनकारी शक्ति है। इसकी वास्तविक शक्ति सत्य, प्रेम, आत्मबल और मानव-कल्याण में निहित है। आज भी गांधी की अहिंसा न्यायपूर्ण समाज, लोकतांत्रिक राजनीति और शांतिपूर्ण विश्व-व्यवस्था के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार प्रस्तुत करती है।